

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-22/2021

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्री अखिलेश चौधरी--विक्रेता

प्रति

श्रीमति गीता देवी--क्रेता

—:आदेश:—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री अखिलेश चौधरी, पिता-स्व० गरीबा चौधरी, ग्राम-लोहरगाड़ा, पोस्ट-हरिहरपुर, थाना-केतार, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमति गीता देवी, पति-श्री धर्मेन्द्र चौधरी, ग्राम-लोहरगाड़ा, पोस्ट-हरिहरपुर, थाना-केतार, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, केतार से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, केतार के पत्रांक 388/दिनांक 16.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता गरीबा चौधरी वगैरह के नाम से मांग पर चलता है। विक्रेता जाति के मल्लाह सुरिया (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के मल्लाह सुरिया (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः अंचल अधिकारी, केतार के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री अखिलेश चौधरी, पिता-स्व० गरीबा चौधरी, ग्राम-लोहरगाड़ा, पोस्ट-हरिहरपुर, थाना-केतार, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमति गीता देवी, पति-श्री धर्मेन्द्र चौधरी, ग्राम-लोहरगाड़ा, पोस्ट-हरिहरपुर, थाना-केतार, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।


—:भूमि का विवरण:—

| ग्राम | थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा (एकड़ में) | चौहदी |
|------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------|---|
| लोहरगाड़ा | 70 | पुराना-65 नया-12 | पुराना-521 नया-413 | $0.18\frac{3}{4}$ | उ०-रामरतन राम, द०-नीज विक्रेता, पू०-रोड, प०-नन्हकु राम वो राजमोहन राम, |
| कुल रकबा:- | | | | $0.18\frac{3}{4}$ | |

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निबंधक, श्री बंशी बंधर नगर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
गढ़वा


अपर समाहर्ता,
गढ़वा